संख्याः—1309 / 73—सम0—2018—बजट(1) / 2018

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम0बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परियोजना समन्वयक,
प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट,
चतुर्थ तल, पिकप भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।

समन्वय अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 17 जनवरी, 2019**

विषयः वित्तीय वर्ष 2018—19 में यूपीडास्प परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रभारी महाप्रबन्धक (वित्त) प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट, यूपी डास्प लखनऊ के पत्र संख्याः—1142 / वि0एवं0ले0 / 2017 दिनांक 29 नवम्बर, 2018 एवं शासन के पत्र संख्या 450A / सम0—73—2018 दिनांक 11 अप्रैल, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट यूपी डास्प, लखनऊ के व्यय हेतु सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) अनुदान / राज्य सहायता तथा वेतन भत्ते आदि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2018—19 हेतु आय—व्ययक के अन्तर्गत उ0प्र0 विनियोग अधिनियम, 2018 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या—19 सन् 2018) द्वारा मानक मद संख्या—20—सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) की मद में स्वीकृत व्यय के लिए रूपये—3,00,00000.00(रूपये तीन करोड़ मात्र) की धनराशि की व्यवस्था की गयी है, जिसके सापेक्ष शासनादेश संख्या—450A / सम0—73—2018 दिनांक 11 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रूपये—1,50,00,000.00(रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) जारी किया गया है।

2. अतएव प्रोजेक्ट कोआर्डिनेशन यूनिट,यूपीडास्प द्वारा उक्त पत्र दिनांक 29.11.18 द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत अवशेष धनराशि रुपये 150.00 लाख (रूपये एक सौ पचास लाख मात्र) में से द्वितीय किश्त के रुप में रु0 50.00 लाख (रुपये पचास लाख मात्र) अनुदान संख्या—11 लेखाशीर्षक 2401—फसल कृषि कर्म—109—विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण—97 यूपी डाईवर्सीफाईड एग्रीकल्चर सर्पोट प्रोजेक्ट की निम्नलिखित मानक मद / उपशीर्षक के सम्मुख अंकित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:—

उपशीर्ष / मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2018—19 में बजट में प्राविधानित धनराशि(लाख में)	वित्तीय वर्ष 2018—19 में शासनादेश दिनांक 11 अप्रैल, 2018 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि(लाख में)	वित्तीय वर्ष 2018—19 में द्वितीय किश्त के रुप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (लाख में)
20—सहायता अनुदान—सामान्य (गैर वेतन)	300.00	150.00	50.00
कुल योग	300.00	150.00	50.00

(रूपये पचास लाख मात्र)

1. विभागों हेतु स्वीकृत धनराशि से मदवार आवंटन परियोजना समन्वयक, यू.पी. डास्प के स्तर से किया जायेगा तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5, भाग–2 में उल्लिखित प्राविधानों में मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उक्त धनराशि यू.पी.डास्प की कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना ही व्यय की जायेगी। जिन मदों के लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है, उन्हीं मदों पर व्यय किया जायेगा।

3. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर किया जाएगा।

4. विनियोग अधिनियम द्वारा स्वीकृत/उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग चालू योजनाओं पर किया जाएगा तथा किसी भी स्थिति में उक्त धनराशि का उपयोग वर्ष 2018–19 की नयी मदों के कार्यान्वयन के लिए नही किया जाएगा।

5. उक्त धनराशि का आहरण राजकोष से एक मुश्त नही किया जाएगा, बल्कि आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार व्यय किया जाएगा।

6. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/फाइनेंशियल हैड़बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

7. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि आबंटन एवं आबंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–बी–1–1195/दस–18/94 दिनांक 6 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों को कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

8. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए 934/दस–2008 मित–1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

9. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा, किसी भी दशा में धनराशि आहरित करके बैंक/ड़ाकखाने में जमा नही की जाएगी।

10. उ0प्र0 के बजट मैनुअल के पैरा–88 के प्राविधानानुसार किया जाने वाला व्यय कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जायेगा।

11. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–97–यू.पी.डाइवर्सीफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट के उपशीर्षक–20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

12. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2018/बी–1–375/दस–2018–231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–1–42/दस–2019 दिनांक–15 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(डॉ0सुधीर एम0बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्याः–1309 (1)/73–सम–2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–1/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 उ0प्र0 शासन।
6. कृषि अनुभाग–3/5 उ0प्र0शासन।
7. श्री मोहम्मद ऑशिफ खान, प्रिन्सिपल एनालिस्ट, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा की वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।